न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5075/2006/अलवर</u>

1– शिवलाल पुत्र रामलाल
2– जगदीप पुत्र शिवलाल
3– अमरदीप पुत्र शिवलाल
–समस्त जाति मीणा निवासीगण मीणा कालोनी म.नं. 1, दिल्ली रोड, अलवर

–अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1– गोविन्दसहाय पुत्र बुद्धाराम जाति मीणा
2– किशनलाल पुत्र जगन्या जाति मीणा
3– भवानीसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत
4– गोविन्द सिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत
5– रामसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत
6– विजयसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत
7– राजवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत
8– बुद्धाराम पुत्र भौंरा जाति राजपूत

–असल प्रत्यर्थीगण

9– श्रीमती निर्मला पुत्री शिवलाल
10–श्रीमती हंसादेवी पुत्री शिवलाल
11–श्रीमती मंशा देवी पुत्री शिवलाल
–समस्त जाति मीणा निवासीगण मीणा कालोनी म.नं. 1, दिल्ली रोड, अलवर
12–जयकिशन पुत्र श्रीलाल नवासा ख्यालीराम जाति मीणा निवासी बावडीका तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री राम दयाल मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 22–03–2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–7–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष वादी मु. केसर ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ स्थित प्रश्नगत विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 507 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 508 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 548 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 569 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा व हाल खसरा संख्या 580 रकबा 16 बिस्वा, 581 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 589 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि के 1/3 भाग के संबंध में प्रत्यर्थी गोविन्दसहाय वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। जिसे विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 1/60 संस्थित किया। इसी प्रकार उक्त प्रश्नगत आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 1/122 वादी गोविन्दसहाय ने प्रतिवादी मु. केशर वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। मु. केशर द्वारा दायर वाद में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 4 किशनलाल ने अपना पृथक से इकबालिया जवाबदावा पेश कर अंकित किया कि वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। गोविन्दसहाय द्वारा दायर वाद में प्रत्यर्थी मु. केशर ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। उक्त दोनों दावों व जवाबदावों के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 विवाद्यक विरचित किए। तत्पश्चात उक्त दोनों दावों को विचारण न्यायालय ने समेकित करते हुए कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 12–9–2003 पारित की। उक्त डिक्री के अनुसार न्यायालय ने वादी मु. केशर द्वारा दायर वाद संख्या 1/60 को खारिज करते हुए वादी गोविन्दसहाय द्वारा दायर वाद संख्या 1/122 को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–9–2003 के विरूद्ध मु. केशर ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष दो पृथक–पृथक अपीलें क्रमश अपील संख्या 122/2003 व अपील संख्या 130/2003 पेश की। उक्त दोनों अपीलों को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने एकजाई करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 18–7–2006 पारित करते हुए आलोच्य दोनों अपीलों को खारिज करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा। राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर शिवलाल वगैरहा ने हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की है।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड के विपरित निर्णय पारित किए है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलार्थी के दादा भौरया तथा कालान्तर में आराजी उनके पिता की खातेदारी की आराजी होना सिद्ध है। जिससे ख्याली के हितों की भूमि की वादिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 दोनों का अधिकार होना सिद्ध है। उनका आगे कथन किया कि विचारण न्यायालय ने मूल वाद की कार्यवाही में वसीयत बाबत विवाद्यक संख्या 3 विरचित कर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार होना माना है। जबकि वसीयत की सत्यता को प्रमाणित करने का राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त मामले में निष्पादित वसीयत को वसीयतग्रहिता द्वारा सिविल न्यायालय से सिद्ध नहीं करवाया गया है। उनका तर्क है कि वादिया रेकार्डेड खातेदार की पुत्री है तथा उसके पिता की सम्पत्ति में अपनी सगी बहन बत्तो के पुत्र जयकिशन के साथ बराबर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उनका आगे तर्क है कि आराजी में अपीलार्थी के स्वत्व को अपंजीकृत व सिविल न्यायालय द्वारा अप्रमाणित वसीयत के आधार पर नष्ट नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयत को वैध करार देते हुए अनुसूचित जनजाति मीणा में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है जबकि वसीयत को वैधता प्रदान करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उनका यह भी आक्षेप है कि अनुसूचित जनजाति में भी पुत्र संतान नहीं होने की स्थिति में पुत्रियां ही सम्पत्ति की अधिकारिणी होती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने एक तर्क यह भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों दावों को कन्सोलिडेट करने के बाद एक ही डिक्री पारित की है और एक ही निर्णय पारित किया है और निर्णय में अलग अलग प्रति लगाने का आदेश नहीं है और एक ही डिक्री मानी जावेगी। इसलिए दो अपील की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्रियां हिस्सेदार है या नहीं इस बारे में भी कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–7–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–9–2003 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए वाद संख्या 1/60 को डिक्री कर रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश वाद संख्या 1/56 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्क के समर्थन में 1961 आईएलआर पेज 1173 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5– इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गयी आलोच्य द्वितीय अपील का विरोध करते हुए मामले में दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि मीणा जाति पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता है तथा मीणा जाति में पुत्रियों को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आगे कहा कि अपीलार्थी जो कि ख्याली की पुत्री है जिसे आराजी में कानूनन कोई अधिकार नहीं है। आगे कथन किया कि गोविन्दसहाय ख्याली का भतीजा है। उनका आगे कथन है कि ख्याली ने उनके पक्ष में वसीयत निष्पादित करायी है, जिसे आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय से अवैध करार नहीं करवाया है। उन्होंने बताया कि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयत को गलत मानने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। यहीं नहीं उनके द्वारा वसीयत को गवाहान से साबित करवाया गया है। इस प्रकार वसीयत के आधार पर मृतक ख्याली की सम्पत्ति में प्रतिवादी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत आराजी पैतृक नहीं होकर मृतक ख्याली की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसके बारे में जरिये वसीयत भूमि में प्रतिवादी का अधिकार निहित है। अपीलार्थी द्वारा क्रास दावे के विरूद्ध दो निर्णय हुए है उसके बावजूद भी एक ही अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं है। यह प्रकरण में मीणा जाति से सम्बन्धित है और उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी नहीं होता है। वादी की ओर से आज तक वसीयत को कहीं चुनौती नहीं दी गयी है। यदि वसीयत फर्जी है तो वह सिविल कोर्ट में घोषणा करवाये। दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, इस आधार पर अपील पोषणीय नहीं है और इस प्रकरण में कानूनी बिन्दू क्या निहित है ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये –

1. 2017 आरबीजे पेज 390
2. 2017 डीएनजे (2) (राज.) पेज 839
3. 2018 डीएनजे (3) पेज 127
4. 2019 डीएनजे (1)(राज.) पेज 337
5. 2019 आरआरटी (2) पेज 831
6. 2021 आरआरटी (1) पेज 629
7. 2021 आरआरटी (2) पेज 997
8. 1966 आरआरटी पेज 71
9. 2002 आरआरडी पेज 31
10. 2011आरआरडी पेज 773
11. 2016 आरआरटी (1) पेज 1437
12. 2014 आरआरटी (1) पेज 901
13. 2021 आरआरटी (1) पेज 705
14. 2007 आरआरडी पेज 587
15. 2018 आरबीजे पेज 251
16. 2011 आरबीजे पेज 690
17. 2015 आरबीजे पेज 543

18. 2011 आरआरटी पेज 1387
19. 2012 आरआरटी पेज 927
20. 2006 आरआरटी पेज 166

6– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– मण्डल के समक्ष कानूनी बिन्दू यह है कि दो क्रॉस दावों में एक निर्णय के विरूद्ध एक अपील पोषणीय है और क्या मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी है।

8– सर्वप्रथम एक अपील की पोषणीयता पर विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह तर्क किया गया कि क्रास सूट का निर्णय एक ही निर्णय से किया और एक ही डिक्री बनी इसलिए दो अपीलों की आवश्यकता नहीं लेकिन रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का तर्क है कि क्रास सूट में दो अपील होना जरूरी है अन्यथा रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू हो जाता है। अपीलार्थी की ओर से 1961 आईएलआर (11) राज. पेज 1173 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2017 आरबीजे पेज 390 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त जयकिशन बनाम बजरंगलाल आईएलआर 1961 राज पेज 1173 को विवेचित करते हुए यह उल्लेख किया है कि दो निर्णयों के विरूद्ध यदि एक अपील की गयी तो वह अपील पोषणीय नहीं है और इसी सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2021 आरआरटी (2) पेज 997, 2019 आरआरटी पेज 831, 2021 आरआरटी (1) पेज 628 में भी यहीं सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दो वादों के दो निर्णय व दो अपीलों के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जबकि उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में दो दावा व डिक्री की दो अपील होनी आवश्यक है। इसलिए अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क की एक ही निर्णय से दो अपीलों का निर्णय किया है, इसलिए एक ही अपील पेश होगी, मानने योग्य नहीं है।

8– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि मृतक ख्याली के एक मात्र जायन्दा पुत्री है और वह अपने पिता की सम्पत्ति में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है जबकि रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति में लागू नहीं होते है। इस सम्बन्ध में रेस्पोर्डेन्ट की ओर से 1966 आरआरटी पेज 71, 2002 आरआरडी पेज 31, 2011आरआरडी पेज 773, 2016 आरआरटी (1) पेज 1437, 2014 आरआरटी (1) पेज 901 एवं 2021 आरआरटी (1) पेज 705 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। 2014 (2) आरआरटी पेज 901 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है –

Daughter belonging to Scheduled Tribe Meena community is not entitled to inherit the fathers property.

और नवीन निर्णय 2021 आरआरटी (1) पेज 705 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया है –

Hindu Succession Act is not applicable in case of persons belonging to Scheduled Tribe. और मौजूदा प्रकरण के पक्षकारान मीणा जाति से है और मीणा जाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रथागत अधिकार ही प्राप्त होते है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जगन, ख्याली व बुधा पुत्रान भौरया के नाम का है और भौरया के फौत होने पर उक्त तीनों के नाम विरासत का नामान्तकरण खुला हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है बल्कि नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 10–7–1998 से दर्ज हुई है। मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित आराजी का पैत्रिक न होकर ख्याली, जगन व बुधा की स्वअर्जित मानी है और उक्त आराजी पैत्रिक हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त तथ्य को साबित नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में ख्याली (मृतक) अपनी इच्छानुसार सम्पत्ति का निस्तारण करने में समर्थ व स्वतन्त्र था और इच्छा अनुसार वसीयत की है। इसलिए अपीलान्ट का यह तर्क कि उक्त सम्पत्ति पैत्रिक थी, मानने योग्य नहीं है।

9– वसीयत के बारे में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वसीयत की सत्यता प्रमाणित करने का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं है, सिविल न्यायालय से इसकी घोषणा करवानी चाहिए जबकि इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का तर्क है कि वसीयत जब तब फर्जी साबित नहीं हो तब तक उसे सही माना जायेगा और वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। वादिनी द्वारा वसीयत को आज तक सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। दोनों पक्षों के तर्को पर विचार करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि वसीयत का पंजीकृत होना जरूरी नहीं है और जब तक वसीयत सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं की जाती है या शून्य घोषित नहीं की जाती है तब तक उसे फर्जी या कूटरचित नहीं माना जा सकता। वसीयत के गवाहों ने वसीयत दिनांक 10–6–1996 के निष्पादन के बारे में विचारण न्यायालय में बयान दिये है व निष्पादन को साबित किया है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयों में साक्ष्य का विवेचन करते हुए निष्कर्ष दिया है और उसकी पुष्टि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का वसीयत के सम्बन्ध में किया गया विवेचन व निष्कर्ष सही है व वसीयत प्रथम दृष्टया सही है और वसीयत के अनुसार वसीयत ग्रहिता वसीयत में वर्णित सम्पत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। वादनी मृतक ख्याली द्वारा की गयी वसीयत के कारण कोई सम्पातिक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

10– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2007 आरआरडी पेज 587, 2018 आरबीजे पेज 251, 2011 आरबीजे पेज

690 एवं 2015 आरबीजे पेज 543 में यह व्यक्त किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए तब तक वे निर्णय विधि विरूद्ध और तथ्यों के विपीरत नहीं हो और इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 आरबीजे पेज 543 में यह व्यक्त किया है –

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 100 – घोषणा व कब्जा हेतु वाद सडक के प्रयोजन हेतु सम्पत्ति चिन्हित की गयी लेकिन सडक नहीं बनायी – कब्जा हेतु वाद डिक्री किया और रिक्त कब्जा सुपुर्द करने का रेस्पोडेन्टस् को निर्देश दिया – उच्च न्यायालय ने डिक्री उपान्तरित की और समवर्ती निष्कर्षो को अपास्त करने के बाद प्रतिकर हेतु हकदार माना। धारा 100 सि0प्र0सं0 के अन्तर्गत तथ्यों के निष्कर्षो में हस्तक्षेप उचित नहीं था। निर्णीत, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संवहनीय नहीं है व अपास्त किया।

11– मौजूदा प्रकरण में भी वादिनी का वाद विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए खारिज किया है और उक्त निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपीलों को भी खारिज किया गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कहीं प्रकट नहीं होता कि निर्णय तथ्यों व विधि के विपरीत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप का आधार नहीं है और अपील खारिज होने योग्य है।

12– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य